राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टि. संख्या–25/2018/जयपुर
2. रेक्टि. संख्या–26/2018/जयपुर
3. रेक्टि. संख्या–27/2018/जयपुर
4. रेक्टि. संख्या–28/2018/जयपुर
5. रेक्टि. संख्या–29/2018/जयपुर
6. रेक्टि. संख्या–30/2018/जयपुर
7. रेक्टि. संख्या–31/2018/जयपुर
8. रेक्टि. संख्या–32/2018/जयपुर
9. रेक्टि. संख्या–33/2018/जयपुर
10. रेक्टि. संख्या–34/2018/जयपुर

मैसर्स आर.एस. ईफ्रा ट्रांसमिशन लि0,
जयपुर

...अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ....अपलार्थी की ओर से

श्री रामकिशोर खदाव
उप राजकीय अभिभाषक ....राजस्व की ओर से

दिनांक : 31.05.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दस रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये स्थगन आदेश दिनांक 13.04.2018 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

2. इन समस्त प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं कर बोर्ड द्वारा दिये गये स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया, स्थगन आदेश में दी गई सारणी में कर व ब्याज के कॉलम में अंकित की गई मांग राशियां निम्नानुसार दर्शाई गई थी :–

अपील सं.	कर नि.वर्ष	कर	ब्याज
66/17–18	2011–12VAT	36,622	73,244
67/17–18	2011–12CST	5,14,704	15,59,724
68/17–18	2012–13VAT	16,591	61,446
69/17–18	2012–13 CST	7,16,463	26,33,578
70/17–18	2014–15VAT	20,221	1,34,806
71/17–18	2014–15 CST	3,74,915	24,99,350
72/17–18	2015–16VAT	4,694	52,144
73/17–18	2015–16 CST	2,15,692	23,96,512
74/17–18	2016–17VAT	838	16,748
75/17–18	2016–17 CST	25,879	5,17,614

निरन्तर.................2

4. उक्त मांग राशियां दर्शाते समय त्रुटिवश अलग–अलग स्थानों पर कर के स्थान पर ब्याज एवं ब्याज के स्थान पर शास्ति की राशि का अंकन हो गया था जिसका भूल सुधार किया जाता है। भूल सुधार पर स्थगन आदेश में टंकित की गई उपरोक्त सारणी को निम्नानुसार पढ़ा जावें :-

रेक्टि. सं.	अपील सं.	कर नि.वर्ष	कर	ब्याज
25/18	66/17–18	2011–12VAT	36,622	24,174
26/18	67/17–18	2011–12CST	7,79,862	5,14,704
27/18	68/17–18	2012–13VAT	30,723	16,591
28/18	69/17–18	2012–13 CST	13,26,799	7,16,463
29/18	70/17–18	2014–15VAT	67,403	20,221
30/18	71/17–18	2014–15 CST	12,49,675	3,74,915
31/18	72/17–18	2015–16VAT	26,072	4,694
32/18	73/17–18	2015–16 CST	11,98,256	2,15,692
33/18	74/17–18	2016–17VAT	8,374	838
34/18	75/17–18	2016–17 CST	2,58,807	25,879

5. अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त रेक्टिफिकेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य